अध्याय–3

प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं की समेकित चैक लिस्ट व विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय–2 में उल्लिखित है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रपत्र के प्रारूप का मानकीकरण **(Standardization)** किया गया है।

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौड़ी गढ़वाल

प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल के लिए लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)

लम्बाई – 1.00 कि0मी0

उपरोक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत पत्राक संख्या 819/111(2)/14–50(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 8 फरवरी 2014 द्वारा 1.50 कि0मी0 लम्बाई हेतु ~~23.60~~ लाख प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त मोटर मार्ग रीठाखाल–दुधारखाल के कि0मी0 4 से शुरू होकर ग्राम तलगल तक निर्माण हेतु प्रस्तावित है ।

मार्ग निर्माण हेतु दो समरेखणों पर सर्वेक्षण कराया गया है जिनके गुण–अवगुण निम्न है ।

समरेखन नं0 1– नक्शे पर लाल रंग से चिन्हित यह समरेखण का अधिकांश भाग 1:24 के उतरते ग्रेड में प्रस्तावित है । इस समरेखण में ग्राम तलगल को जोडने के लिए हेयर पिन बैंड की आवश्यकता नही पड रही है । उक्त मार्ग के समरेखण में आरक्षित वनभूमि, नाप भूमि एवं सिविल सोयम भूमि पड रही है । इस समरेखण पर ग्रामवासीयों एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त हुई है । ग्रामीणों के चारागाह एवं पनघट को क्षति भी नहीं हो रही है । इस समरेखण से 1.00 कि0मी0 में ग्राम तलगल जुड जायेगा ।

समरेखन नं0 2– नक्शे पर हरे रंग से चिन्हित यह समरेखण का अधिकांश भाग 1:24 के उतरते एवं चडते ग्रेड में प्रस्तावित है । समरेखण में कुल 02 हेयर पिन बैड है । इस समरेखण में भी आरक्षित वनभूमि, नाप भूमि एवं सिविल सोयम भूमि पड रही है । इस समरेखण से प्राकृतिक पेयजल स्रोत क्षतिग्रस्त हो रहे है । इस समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं है । इस समरेखण से 1.425 कि0मी0 में ग्राम तलगल जुडेगा ।

क्र0सं0	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
1.	तलगल	00782300	117	
2.				

उक्तानुसार समरेखन–1 पर मार्ग बनाया जाना उचित होगा इसी पर सभी ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त हुई है। अतः समरेखन न0–1 जो नक्शे पर लाल रंग से दर्शाया गया है स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0 पौडी गढवाल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0 पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड

(7)

प्रपत्र–2
परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :– **रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग।**

ख) **1**:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप :– **संलग्न है।**

ग) परियोजना की लागत :– **₹41.27 लाख।**

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :– **स्थानीय ग्रामों का विकास।**

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– **संलग्न है।**

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :– **लघु उद्योग, कृषि बागवानी आदि।**

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: :– **0.360 हे0 सिविल वन भूमि यातायात सुविधा हेतु** ।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– **नहीं**

क) परिवारों की संख्या :– **25**

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :– **शून्य**

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– **लागू नहीं है।**

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

(8)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही) :– **हां**
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :– **संलग्न है।**
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा :– **संलग्न है।**

दिनांक 06-4-2022

स्थान पौड़ी

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम अधिशासी अभियन्ता

मेहर निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

प्रस्ताव की क्रम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र–2.1

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र :– **उत्तराखण्ड**
ii) जिला :– **पौड़ी गढ़वाल**
iii) वन प्रभाग :– **गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी**
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
v) वन की कानूनी स्थिति
vi) हरियाली का घनत्व
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी

अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर
.... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.................. हस्ताक्षर

स्थान.................. नाम

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.2

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉं/नहीं) यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

तिथि..................

स्थान.................

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.3

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.4

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर